

सरकार के अवर सचिव।

Handwritten signature and date: 17/8/2015

प्रतिनिधि : आर्डी010 मैनजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में प्रकाशनाथ कार्डार्ड देवे प्रेषित।

प्रतिनिधि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनाथ एवं आवश्यक उत्तर, बीरग कैनल रोड, पटना को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्डार्ड देवे प्रेषित।

प्रतिनिधि : स्वास्थ्य तालिका सहित अर्जुब की एक प्रति 10 आम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, समुति-सेवानिवृत्त, 6/6 आनन्दपुरी, हिमानि अपोर्टमेंट के

ज्ञापक : (9) 729 / स्वा0, पटना, दिनांक : 17/8/2015

सरकार के अवर सचिव।

प्रतिनिधि : स्वास्थ्य तालिका सहित अर्जुब की एक प्रति प्रवाय, पीएमसीएच0, पटना द्वारा मनागत उपस्थापन पदाधिकारी को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

ज्ञापक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

सरकार के अवर सचिव।

प्रतिनिधि : स्वास्थ्य तालिका एवं अर्जुब की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस अर्जुब के साथ अग्रसहित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ज्ञापक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

सरकार के अवर सचिव।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

आदेश: आदेश दिया जाता है कि अर्जुब की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्डार्ड देवे अवश्य भेज दी जाय।

आरोप पत्र (अर्जुब) एवं स्वास्थ्य इसके साथ ही निगत किया जा रहा है।

उपरिखत होने और अपनी और से साध्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक है।

10 चौधरी, को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए संचालन पदाधिकारी तथा प्रवाय, पीएमसीएच0, पटना द्वारा मनागत उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

10 चौधरी, अतिरिक्त सहाय क राज्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के नियम-43 बी0 में परिवर्तित करते हुए विहित शैली से विभागीय कार्डार्डही चलायी जाय।

उक्त 10 चौधरी के विरुद्ध अर्जुब में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार प्रेशन नियमावली के आदेश के उल्लंघन के दोषी है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि-

के उत्तर, बीरग कैनल रोड, पटना अर्जुब में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित धोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, समुति-सेवानिवृत्त, 6/6 आनन्दपुरी, हिमानि अपोर्टमेंट के लिए बिहार राज्यपाल को विवेकास करने का कारण है कि 10 आम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन

संकल्प

बिहार सरकार
 स्वास्थ्य विभाग
 फ0सं10-9/आ10-1-14/2015